



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स : 0612-2344396 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई-मेल : brbn.bih.mali@gmail.com

बिहार राज्य में अधिकृत बीज विक्रेता की नियुक्ति संबंधी सूचना

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना विभिन्न फसलों के बीज विपणन हेतु बिहार राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तर पर अधिकृत बीज विक्रेता नियुक्त करना चाहती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था जो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकृत बीज विक्रेता बनना चाहते हैं, वह निगम के वेबसाइट brbn.bih.nic.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 22.02.2014 से 11.03.2014 तक।

आवेदन पत्रों के निष्पादन की अंतिम तिथि- 24.03.2014 तक।

विपणन प्रमुख



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स : 0612-2344396 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई-मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

बिहार राज्य में अधिकृत बीज विक्रेता की नियुक्ति संबंधी सूचना

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना विभिन्न फसलों के बीज विपणन हेतु बिहार राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड स्तर पर अधिकृत बीज विक्रेता नियुक्त करना चाहती है (ब्योरा कंडिका -2 में अंकित है।)। इच्छुक व्यक्ति/संस्था जो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के अधिकृत बीज विक्रेता बनना चाहते हैं, वह निगम के निम्नलिखित कार्यालय से 5000 (पाँच हजार) रुपये नकद जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

क्र०सं०	कार्यालय का नाम/पता	प्रभारी पदाधिकारी	सम्पर्क मोबाइल नंबर
1.	बिहार राज्य बीज निगम लि०, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना- 800001	श्री अजय कुमार, सहायक विपणन पदाधिकारी	9934766229
2.	बिहार राज्य बीज निगम लि०, जी०टी० रोड, कुदरा, कैमूर	श्री राम नारायण सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक	8002003200
3.	बिहार राज्य बीज निगम लि०, पुलिस लाईन कैम्पस, दिग्धी, हाजीपुर	श्री अलबेल कुजूर, क्षेत्रीय प्रबंधक	9939108606
4.	बिहार राज्य बीज निगम लि०, विष्णुपुर फार्म, बेगुसराय	श्री उमेश कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक	9431589849
5.	बिहार राज्य बीज निगम लि०, संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय कैम्पस, तिलकामांझी रोड, भागलपुर	श्री उमेश कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबंधक	9431589849

वर्ष 2013-14 के लिए अधिकृत बीज विक्रेता की नियुक्ति का कार्यक्रम :-

- अधिकृत बीज विक्रेता नियुक्ति संबंधी आवेदन निगम से प्राप्त करने की तिथि दिनांक 22.02.2014 से 11.03.2014 तक।
- आवेदन पत्र निगम में जमा करने की तिथि दिनांक 22.02.2014 से 11.03.2014 तक।
- आवेदन पत्र जाँच एवं अनुबंध संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अंतिम तिथि 24.03.2014 तक।

अधिकृत बीज विक्रेता नियुक्ति के लिए मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :-

- अधिकृत बीज विक्रेता को बीज बिक्री की अनुज्ञप्ति, पैन संख्या/टिन संख्या तथा स्वयं/लीज/किराया का कम से कम 100 मे० टन क्षमता का बीज भंडारण हेतु गोदाम एवं 9 मे० टन क्षमता का अपना/भाड़े का एक ट्रक होना अनिवार्य है।
- जिलास्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता पूर्वी चम्पारण, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मुगेर तथा भागलपुर में नियुक्ति किया जाना है।
- अनुमंडलस्तरीय औरंगाबाद, भोजपुर, बिहार शरीफ, सासाराम, मोहनिया, नवादा गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज, डुमराव, बक्सर, कटीहार, मधुबनी, अरवल, जहानाबाद को छोड़कर बिहार के शेष अनुमंडलों में अनुमंडलस्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता नियुक्त किया जाना है।
- प्रखंडस्तरीय कुटुम्बा, गोह, रफीगंज, गायघाट, स्थावा, लक्ष्मीपुर, नवादा, पकडीवरावा, कौआकोल, काशीचक, दरियापुर, एकमा, सोनपुर को छोड़कर बिहार के शेष प्रखण्डों में प्रखंडस्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता नियुक्त किया जाना है।
- जिला स्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता को अग्रधन (जमानत) की राशि रुपये 200000.00 (दो लाख रुपये मात्र) बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा जो नियुक्ति संबंधित अनुबंध समाप्त होने पर वापसी योग्य है। अधिकृत बीज विक्रेता को रुपये 5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये मात्र) का सरकारी बैंक से बैंक गारंटी अथवा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के नाम से क्रॉस चेक जमा करना होगा जो नियुक्ति संबंधित अनुबंध समाप्त होने पर वापसी योग्य है।
- अनुमंडल स्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता को अग्रधन (जमानत) को राशि रु० 100000.00 (एक लाख रु०) मात्र एवं बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा जो नियुक्ति संबंधित अनुबंध समाप्त होने पर वापसी योग्य होगा। अधिकृत बीज विक्रेता को रुपये 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) का सरकारी बैंक से बैंक गारंटी अथवा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के नाम से क्रॉस चेक जमा करना होगा जो नियुक्ति संबंधित अनुबंध समाप्त होने पर वापसी योग्य है।
- प्रखण्ड स्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता को अग्रधन (जमानत) को राशि रु० 50000.00 (पचास हजार रु०) मात्र एवं बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा जो नियुक्ति संबंधित अनुबंध समाप्त होने पर वापसी योग्य होगा। अधिकृत बीज विक्रेता को रुपये 1,00,000.00 (एक लाख रुपये मात्र) का सरकारी बैंक से बैंक गारंटी अथवा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के नाम से क्रॉस चेक जमा करना होगा जो वापसी योग्य होगा।
- जिला स्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता के द्वारा बीज परिवहन के लिए स्वयं के वाहन का उपयोग करने पर निगम द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- जिला स्तरीय अधिकृत बीज विक्रेता को प्रत्येक मौसम में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अतिरिक्त न्यूनतम 1000 क्वी० बीज बिक्री का लक्ष्य प्राप्त करना होगा।
- बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा प्रत्येक दो वर्षों पर संतुष्ट होने पर बीज बिक्री हेतु अनुबंध का नवीकरण किया जाएगा।
- कंडिका 2 में वर्णित स्थानों के लिए पूर्व वितरक/विक्रेता को भी पुनः आवेदन करना होगा। सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले पूर्व के अधिकृत बीज विक्रेता को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।